



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 074648

(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट की अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सत्य-पत्र का प्रारूप:-

हम नीम्नी गुन्जन पाल एवं श्री अमन पाल क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव मुन्नापाल कीलारी देवी एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, ग्राम-कोदरट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-बनघटा,जिला-सतलुकीर नगर सत्यपूर्वक निम्नलिखित बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा मुन्नापाल कीलारी देवी कालेज ऑफ फार्मसी ग्राम-कोदरट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-बनघटा,जिला-सतलुकीर नगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
 2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम मुन्नापाल कीलारी देवी एजुकेशनल वेल्फेयर सोसाइटी, ग्राम-कोदरट,पोस्ट-गायघाट,तहसील-बनघटा,जिला-सतलुकीर नगर में गाटा संख्या 402 एवं 397 रकबा 0.8174 हेक्टेयर भूमि है।
 3. यह कि,उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बंध किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।
 4. यह कि,उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 402 एवं 397 रकबा 0.8174 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15-10-2020 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि,उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तुत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित, नक्शे के अनुसार किया गया है।

की प्रमाण सत्यपूर्वक बयान
दिये जा रहे हैं।
नोटरी की हस्ताक्षर
र प्रमाण पत्र
जारी करने के लिये

6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त घटे पर सीमाइटी / ट्रस्ट के नाम भुवि एवं इस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
 7. यह कि इस भुवि एवं इस पर निर्मित भवनों पर चार्जेसी कार्टरिजल आर्के इन्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा इन कार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
 8. यह कि इस संस्था में चार्जेसी कार्टरिजल आर्के इन्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टन प्रदान किया जाएगा।
 9. यह कि उपरोक्त भुवि व इस पर निर्मित भवनों में चार्जेसी कार्टरिजल आर्के इन्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद/उच्च शिक्षा आयोग से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईआईटीआई आदि का संचालन न हो पूर्व में कमी किया गया है और न ही भविष्य में कमी किया जाएगा।
 10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक वस्तुएं कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को चार्जेसी कार्टरिजल आर्के इन्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जाएगा।
 11. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक सैद्धिक एवं अर्थिक स्टाफ की तैयारी सीमाइटी/ट्रस्ट द्वारा कायम रखने के पूर्व कर लिया जाएगा।
 12. यह कि संस्थान / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का पालनपालन होगा। यदि यह संस्था में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय निरीक्षण में मापकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निर्देशित एवं संबंधित समिति द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा एवं पूर्ण मान्य होगा। इस हेतु यह द्वारा कोई भी प्रकार के कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- इस घोषणा करवाई जा रही है कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि ही गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून लागू कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी ही गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगी।

डॉ. शशि
 श्री. राजेश शर्मा

डॉ. अशोक
 श्री. अशोक शर्मा